न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम रोशनी देवी पत्नी हीरालाल रेगर निवासी चितावा वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 872/2021 **GCMS No.2021/1178**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22/7/2022	अप्राथी अप्रार्थी पर्वतसिंह पुत्र डालसिंह राजपूत चितावा एवं उनके अधिवक्ता श्री अशोकपुरी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 771 रकबा 1.24 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में स्थित है, अप्रार्थी की भूमि खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी के रहवासीय मकान व मवेशियों के बाड़े बने हुये है तथा अपने अपने हक हिस्से का विधिवत बंटवारा कराया जाकर भूमि संपरिवर्तन कराना चाहते है, तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी विधिवत बंटवारा का वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर अपना हक हिस्सा पृथक कराकर अपने हक हिस्से की भूमि संपरिवर्तन कराने हेतु तैयार है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा बंटवारा का वाद प्रस्तुत करने के कथन पर विश्वास किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा स्थगन होने से अप्रार्थी बंटवारा का वाद भी प्रस्तुत नही कर पा रहे है प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया मामला सुवधिा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 24.12.2021 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	